

यह निरीक्षण आख्या कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति उ.मा. (बालक) विद्यालय, जोशीमठ द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति उ.मा. (बालक) विद्यालय, जोशीमठ के अवधि 05/2012 से 04/2016 तक के लेखा-अभिलेखों का लेखापरीक्षा श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दयाशंकर, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.05.2016 से 12.05.2016 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित संप्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

अ. परिचयात्मक:

- लेखापरीक्षित इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी जिसमें माह 05/2012 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
- विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :
 - श्री अनुसूया प्रसाद हटवाल – 28.11.2008 से वर्तमान तक
- विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
	भाग-2 अ	भाग-2 ब	STAN
.....प्रथम लेखापरीक्षा है			

- सतत् अनियमिततायें – शून्य
- अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य
- बजट :

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आवंटन		व्यय	
	स्थापना	गैर-स्थापना	स्थापना	गैर-स्थापना
2013-14	53.90	—	52.46	—
2014-15	74.55	—	60.01	—
2015-16	69.71	—	63.43	—

५

भाग—दो 'ब'

प्रस्तर 1 : अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्ध ` 4.11 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय ।

राज्य अधिप्राप्ति प्रक्योरमेंट नियमावली 2008 के अनुसार ऐसी सामग्री और मदों के लिए, जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिनकी विभागों/कार्यालयों को बार-बार आवश्यकता होती है, ऐसे सामग्रियों के लिए दर संविदा की जानी चाहिए। नियमावली यह भी प्रावधानित करती है, प्रत्येक अवसर पर यदि क्रय की गयी सामग्री का मूल्य ` 15000 से ` 100000 तक हो तो क्रय की जाने वाली सामग्री को विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित न्यूनतम तीन सदस्य क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जायेगा।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति (बालक) विद्यालय, जोशीमठ (चमोली) के वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के वाउचर की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा (संलग्नक 'क' के अनुसार) ऐसी सामग्रियां जिन्हे सामान्यतः पूरे वर्ष निरन्तर अन्तराल में उपयोग में लायी जाती है, का क्रय बिना दर संविदा के किया गया था जबकि अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार ऐसी सामग्री के लिए दर संविदा की जानी चाहिए। इसके साथ ही लेखापरीक्षा जांच में यह भी पाया गया था कि कार्यालय द्वारा कुल ` 2.34 लाख (संलग्नक 'ख' के अनुसार) की लागत की सामग्री का क्रय इस तथ्य के बावजूद कोटेशन के आधार पर किया गया था कि प्रत्येक अवसर पर क्रय की गयी मूल्य ` 15000 से 100000 के मध्य था जिसके लिए उपरोक्त वर्णित अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्थानीय क्रय समिति का गठन कर समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया जाना था।

इस प्रकार लेखापरीक्षा जांच में पाया गया था कि कार्यालय अधिप्राप्ति कुल ` 4.11 लाख की सामग्री क्रय के लिए प्रक्योरमेंट नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि भविष्य में प्रक्योरमेंट नियमावली के अनुसार ही सामग्री का क्रय किया जायेगा। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः 4.11 लाख की सामग्री अनियमित क्रय करने का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

संलग्नक-क			
क्र.सं.	फर्म का नाम	दिनांक	धनराशि
1	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	04.12.13	13000.00
2	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	25.01.13	13000.00
3	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	18.01.13	14000.00
4	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	02.02.13	4000.00
5	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	04.02.13	14000.00
6	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	31.01.13	3000.00
7	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	28.12.12	6600.00
8	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	18.12.12	14600.00
9	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	17.12.12	14000.00
10	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	24.12.12	14800.00
11	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	04.01.13	3000.00
12	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	17.08.12	3500.00
13	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	29.08.12	5000.00
14	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	18.01.13	14000.00
15	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	04.02.13	13000.00
16	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	15.12.14	8000.00
17	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	04.02.14	10000.00
18	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	04.02.14	10000.00
योग			177500
संलग्नक-ख			
1	मैसर्स राम सिंह राणा, जोशीमठ	01.08.14	66600.00
2	मैसर्स आर.डी. इन्टरप्राइजेज, चमोली	20.06.14	27680.00
3	मैसर्स आर.डी. इन्टरप्राइजेज, चमोली	10.04.14	18050.00

4	मैसर्स ऋषि पुस्तक केन्द्र, गोपेश्वर	02.08.14	24570.00
5	मैसर्स राम सिंह राणा, जोशीमठ	24.12.13	55000.00
6	मैसर्स एक्सल कम्प्यूटर सर्विस, गोपेश्वर	07.02.14	42000.00
			233900.00

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति उ.मा. (बालक) विद्यालय, जोशीमठ को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)